लोकसभा/विधान सभा अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांकः प. 22(3)संसद/2000 जयपुर, दिनांकः 13 जनवरी 2017

प्रेषिति :–

1.समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान............................।
2.समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ....।

–: परिपत्र :–

विषयः–लोकसभा एवं राज्य सभा के भूतपूर्व/वर्तमान सदस्यों के निधन की सूचना यथासमय तत्काल भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से पूर्व में समय–समय पर प्राप्त निर्देशक पत्रों की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.04.2013, 01.10.2014 एवं 16.05.2016 का अवलोकन करावें जिनके माध्यम से आपके जिले के भूतपूर्व/वर्तमान संसद सदस्य के निधन के बारे में सूचना यथासमय तत्काल राज्यसभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान विधान सभा सचिवालय तथा इस विभाग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की जाती रही है। परन्तु कतिपय जिलो से वांछित सूचना जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त नहीं भिजवाई जाने पर माननीय सदन में शोकाभिव्यक्ति व्यक्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है जिसको लोकसभा/राज्य सभा एवं विधान सभा सचिवालय द्वारा गंभीरता से लिया जाता है।

अतः उक्त विषय प्रकरण को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के माननीय भूतपूर्व/वर्तमान संसद सदस्य के निधन के बारे में वांछित सूचना एवं जानकारी यथासमय तत्काल लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान विधान सभा सचिवालय एवं इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि संसद का संबंधित सचिवालय द्वारा इन मामलों में समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

कृपया परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(ओ.पी. मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महासचिव, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
3. निदेशक, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
8. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव